विवाद नं० 328   प्र०क्र० नं० 960

न्यायालय उप जिलाधिकारी सरधना [मेरठ]

वाद सं० 25   धारा 143 ज०वि०अधि०

सर्व शिक्षा प्रसारसेवा समिति 12/127
सजर्य वाली गली गांधीरोड बडौत जिला
बागपत द्वारा अध्यक्ष अनिल कुमार जैन   बनाम   सरकार
ग्राम जुल्हैडा परगना व तहसील सरधना जिला मेरठ।

निर्णय 9 ... दिनांक 13-3-08

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० प्रार्थना पत्र अध्यक्ष /सचिव द्वारा प्रस्तुत करने केआधार पर प्रारम्भ हुई है। वादी ने अपने,प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि वर्णित भूमि गाटा सं० 37/1.0820 स्थित ग्राम जुल्हैडा के अपने समस्त भाग2 2/3 भाग रकबई 7213$\frac{1}{3}$ वर्ग मी० मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बो जोत रहे है।उक्त भूमि मे शैक्षिक संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जन सामान्य एवं क्षेत्र के विकास के लिये वर्णित भूमि को मान्य न्यायालय द्वारा आबादी भूमि घोषितकिये जाने की कृपा करे।उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से आख्या मगायी गयी।

तहसीलदार सरधना ने अपनी आख्या मे कथन किया है कि ग्राम जुल्हैडा के गाटा सं० 37/1.0820 मे से 2/3 भाग अर्थात 7213$\frac{1}{3}$ वर्ग मीटर पर सर्व शिक्षा प्रसार सेवा समिति 12/127 डा०सजर्य वाली गली गांधी रोड बडौत जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष अनिल कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन निवासी पट्टी भुलावा छपरौली जिला बागपत व सचिव पीयूष जैन पुत्र भगीरथ जैन निवासी 12/127 डा० सजर्य वाली गली गांधी रोड बडौत व कोषाध्यक्ष प्रदीप दयाल पुत्र श्री प्रभुदयाल निवासी 905 गगन अपार्टमेन्ट कौशाम्बी गाजियाबाद।उक्त भूमि के संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है।स्थल पर भूमि का उपयोग आबादी मे हो रहा है।1359 फ० की खतौनी/बन्दोबस्त मे प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की धारा 132 की भूमि नही है।उक्त भूमि का उपयोग पशुपालन,कुक्कुट पालन मत्सय पालन बागवानी मे नही हो रहा है।अतः धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत ज०वि०अधि० के अन्तर्गत आबादी घोषित करने की संस्तुति की है।वाद दर्ज कर पक्षो को सुना गया।

न्यायालय मे सुनवाई के दौरान उभय पक्ष हाजिर आये। और पक्षो को सुना गया। तथा पत्रावली परउपलब्ध साक्ष्यो का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर विदित होता है किवादीगण प्रश्नगत भूमि के संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। तथा प्रश्नगत भूमि आबादी के प्रयोग मे होना तहसीलदार ने अपनी आख्या मे अकित किया है।तथा प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की भूमि भी नही है। तहसीलदार सरधना द्वारा स्पष्ट संस्तुति आबादी घोषित करने के लिये की गयी है। अतः तहसीलदार की आख्या स्वीकार कियेक जाने योग्य है।

आदेश
======

सत्य प्रतिलिपि

उपरोक्त विश्लेषण अनुसार तहसीलदार की आख्यास्वीकार की जाती है तथा ग्राम जुल्हैडा के खाता सं 0 132 के गाटा सं० 37रकबई 1.0820 है० मे से रकबई 0.7213$\frac{1}{3}$ लगानी 26-75 रु० को अकृषक घोषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13-3-08

COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये
TEN RUPEES

COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

दिनांक

3/14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]